सूचना टेक्नालोजी से सम्बन्धित समस्याएं

इस्लामिक फ़िक्ह अकेडमी इण्डिया का अटठाईसवां फ़िक्ही सेमीनार हिन्दुस्तान के मेवात के बड़े दिनी शीक्षा केन्द्र दारुल उलूम मुहम्मदिया मील खेडला भरतपुर, राजस्थान में दिनांक 17 से 19 नमम्बर सन् 2018 ई0 8-10 रबीउल अव्वल 1440 हिजरी को आयोजित किया गया, जिसमें बाहरी देशों में क़तर, साउथ अफ्रीक़ा, ईरान अफगानिस्तान और बंगला देश के अतिथियों के अतिरिक्त देश के विभिन्न प्रदेशों से लगभग तीन सौ उलेमा, मुफ्तीयों और महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों ने भाग लिया, इस तीन दिवसीय संगोष्ठी में चार महत्त्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श हुआ, इन विषयों पर विचार-विमर्श खोज एवं अनुसंधान के बाद जो प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए वह निम्नलिखित हैंः

1- स्मार्ट फोन वर्तमान काल की एक महत्त्वपूर्ण खोज है। जिसके साथ लाभ और हानियां दोनों जुड़े हुए हैं, अगर स्मार्ट फोन का प्रयोग दीनी, इल्मी (ज्ञानवर्धक), सुधार और उचित उद्देश्य के लिए किया जाये तो उचित है, लेकिन अगर ग़ैर शरई तत्वों एवं विषयों के लिए किया जाये तो उचित नहीं है।

2- स्मार्ट फोन में क़ुरआन शरीफ और अन्य दीनी किताबों का रखना और उनसे लाभ उठाना उचित है।

3- अगर मोबाइल में क़ुरआन मजीद सुरक्षित हो तो जब तक आयते क़ुरआनी स्क्रीन पर प्रदर्शित न हों, मोबाइल सेट क़ुरआन के आदेश में नहीं होगा, अतः अगर आयते क़ुरआनी स्क्रीन पर प्रदर्शित हों, तो स्क्रीन वाले भाग को बगैर वज़ू छूना उचित नहीं होगा। अगर मोबाइल पर स्क्रीन गार्ड और ग्लास लगे हुए हों तब भी यही आदेश होगा।

4- धार्मिक ज्ञानवधर्क और लाभप्रद बातों पर आधारित संदेश चाहे लिखितरूप में हो या किसी और दशा में, इन्हें स्पष्टीकरण एवं सांकेतिक अनुमति की अवस्था में आगे प्रेषित करना उचित है।

5- किसी शरई आवश्यक्ता के बगैर किसी पुरूष का ग़ैर महरम स्त्री को या किसी स्त्री का ग़ैर महरम पुरूष को संदेश भेजना उचित नहीं है।

6- विभिन्न सामान्य भलाई और सुरक्षा की दृष्टि से दीनी मदारिस मसाजिद एवं अन्य आवश्यक स्थानों में सी0सी0टी0वी ;ब्ण्ब्ण्ज्ण्टद्ध केमरे लगाना उचित है।

7- इंटरनेट पर किसी व्यक्ति की सुरक्षित जानकारी का कोड़ तोड़ना उचित नहीं है। और उसको आगे बढ़ाने का भी यही आदेश है।

8- पति-पत्नी का सम्बन्ध आपसी विश्वास पर आधारित होता है, इस लिए सामान्य दशा में एक दूसरे की सूचना के बिना एक दूसरे की जानकारी प्राप्त करना उचित नहीं है।

9- व्यक्तिगत जीवन में सुरक्षा प्रत्येक मनुष्य का आधारभूत अधिकार है, अर्थात किसी आवश्यकता के बिना दूसरों को गोपनीय जानकारी प्राप्त करना उचित नहीं है।

10- अगर किसी को दूसरे व्यक्ति की गोपनीय जानकारी प्राप्त हो जायें और इन गोपनीय जानकारी से स्पष्ट हो कि वह किसी और को हानि पहुँचाने का विचार रखता है, तो उस व्यक्ति के लिए इस दूसरे व्यक्ति को परिसिथति से सचेत कराना उचित होगा।

11- सोशल मीडिया एकाऊंट रखने वाले ने विशेष जानकारी को गोपनीय रखा हो, तो उसकी आज्ञा के बग़ैर डाटा जमा करना और किसी कम्पनी को डाटा देना और उसकी मजदूरी लेना उचित नहीं है।

12- अपराधी के अपराधों पर गवाही प्रस्तुत करने के लिए गोपनीय कैमरे का प्रयोग करना ठीक है।

13- साफ्टवेयर बनाने में काफ़ी परिश्रम, कुशलता और आत्याधिक पूंजी खर्च होती है यह बनाने वाले की सम्पति है, इस लिए इसका कोर्डवर्ड (कफील) तोडना और इसका क्रय-विक्रय करना उचित नहीं है।

14- किसी के कम्पयूटर को हैक करना या उस पर वायरस छोडना उचित नहीं है। यद्यपि व्यक्ति के मन मस्तिष्क एवं आचरण को खराब करने वाला और अनैतिक विषय सामग्री जिसमें अश्लीलता हो, को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है।

15- जिस सूचना एवं समाचार का सत्य होना मालूम हो और इसको फैलाने से किसी कष्ट या हानि की सम्भावना न हो, तो उसे आगे बढाना ठीक है। अलबत्ता घटना के विरुद्ध संदेह यूक्त या हानिकारक हो, तो उसे आगे बढाना उचित नहीं है।

16- किसी के संवाद और लेख में कमी या वृद्धि करना वैध नहीं है।

17- सरकार या किसी और के लिए उचित नहीं है कि वह किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी को उसकी आज्ञा के बग़ैर दूसरों तक पहुँचाए या लोगों में सर्वसाधारण करे।

18- जिन चीज़ों का प्रयोग उचित है, उनका सार्वजनिक एवं प्रसारित करना भी उचित है। बशर्ते कि सार्वजनिक करने की विधि में शरीअत के विरुद्ध बात न हो।

19- हास्य-व्यंग (मज़ाक़) के लिए किसी का कार्टून बनाना उचित नहीं है।

20- मोबाईल कम्पनियों का लोगों की आपसी वार्तालाप को सुरक्षित करके सरकार को या किसी और को देना धरोहर में अनाचार है, इसलिए इसकी आज्ञा नहीं होगी।

☆☆☆

नोटः आयोजनः 8 से 10 रबीउल अव्वल 1440 हिजरी दिनांक 17 से 19 नवम्बर सन् 2018 ई0 जामिया इस्लामिया दारुल उलूम मुहम्मदिया मील खेडला, राजस्थान।